तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2018	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2016 अनवान रिको बोरानाड़ा बनाम मोहनलाल वगैरा अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी पत्रावली आज कोर्ट कैम्प धवा में पेश हुई। रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 11/2016 से दिनांक 24.10.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश किया गया है । इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के जरिये अप्रार्थी मोहनलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया गया था। रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर उसका नोटिस अपार्थीगण को भेजा गया जिसका जबाब अप्रार्थीगणों द्वारा पेश किया गया। जबाब की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को उपलबध करवायी गयी। दोनो पक्षों की बहस रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है की इस मामले में धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होते हे क्योकि औधोगिक भूमि के संदर्भ में रास्ते बाबत आदेश नही दिया जा सकता खसरा नम्बर 183 की भूमि में से अप्रार्थीगण को कोई रास्ता उपलबध नहीं था इस कारण कोई नया रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है । अधिवक्ता रेंस्पोडेन्ट का कथन हे कि रिव्यू का बहुत सीमित दायरा है रिव्यू के जरिये मामले की नये सिरे से सुनवाई नहीं की जा सकती है दिनांक 24.10.2016 का आदेश दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद दिया गया एवं इसके बाद इस आदेश की पालना की जाकर मोके पर रास्ते को अवरोध करने वाली दिवार को हटा दिया गया एवं रास्ता मोके पर चालू हालत में है। अप्रार्थी द्वारा 1995 एआईआर पेज 455 एस.सी. की नजीर पेश की गयी। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध छाया चित्रों से स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर चल रहा है। तथा खसरा नम्बर 183 में स्थित सड़क से ही इसके समानान्तर स्थित खेत के खातेदार आवागमन करते है । पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर दिवार हटाकर उपलब्ध करवाया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर एआईआर 1995 एस.सी. 455 के अनुसार रिव्यू के जरिये मामले की नये सिरे से सुनवाई नहीं की जा सकती है गुणावगुण पर आदेश में त्रुटी रही हो तो उसमें रिव्यू के जरिये दखल नहीं किया जा सकता । इन परिस्थितियों में मामले में रिव्यू किये जाने का कोई आधार नहीं है । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जता है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner